भा0कृ0अनु0प0–केन्द्रीय भेंड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान,
अविकानगर, मालपुरा

क्रमांकः एफएस/हरा–चारा/42/2014/675 दिनांकः– 20.11.2019

सेवामें,

मैसर्स– रामसिंह मीना पुत्र श्री दुर्गालाल मीना
ग्राम/पोस्ट–चांदसेन, तहसील–मालपुरा,
जिला–टोंक (राजस्थान) 304 501

विषयः– अविकानगर प्रक्षेत्र के ब्लॉक नम्बर–12 (प्लांट के पीछे) लगभग 2.5 हैक्टर क्षेत्रफल में जौ की फसल उत्पादन करवाने से सम्बन्धित कार्य,

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा प्रस्तुत कोटेशन दिनांक–15.10.2019 के तहत निम्नलिखित सारणी में दी गई दरों सभी करों एवं खर्चो सहित सक्षम अधिकारी महोदय ने स्वीकार कर लिया हैं।

कार्य का विवरणः–

क सं.	कार्य का विवरण	उत्पादन कार्य	कार्य की अनुमानित मात्रा (क्विटल में)	दर प्रति ईकाई (क्विटल में)	दर रूपयेमें सभी करों व खर्चो सहित (रूपये में)
1	अविकानगर प्रक्षेत्र के ब्लॉक नम्बर–12 (प्लांट के पीछे) लगभग 2.5 हैक्टर क्षेत्रफल में अनुबन्ध पर जौ की फसल उत्पादन करवाने का कार्य।	जौ का बीज	80 क्विटल	1430.00	1,14,400.00

अतः उपरोक्त सारणी में दर्शाये गये कार्य जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर सम्पादित करने हेतु निम्न लिखित नियम व शर्तो के आधार आपको कार्यादेश जारी किया जाता हैः–

1. बिल तीन प्रतियों में पूर्व प्राप्ति रसीद सहित प्रस्तुत करना होगा।
2. भुगतान वास्तविक तोल के आधार पर किया जायेगा।
3. इस कार्य हेतु बीज, खाद, पानी संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।
4. खेत की तैयारी एवं डुलाई इत्यादि कार्य के लिए ट्रेक्टर संस्थान का होगा।
5. भुगतान, कार्य अच्छी दशा में होने के पश्चात् निर्धारित अवधि में कर दिया जावेगा।
6. कार्य की अवधि में अनुबन्धकर्ता द्वारा सरकारी सम्पत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान नही होना चाहिए अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
7. श्रमिक नियमो का पालन करना होगा।
8. भूसे पर अधिकार संस्थान का ही रहेगा।
9. यदि कार्य दिये गये मापदण्ड के अनुसार पूरा नही होता है तो सक्षम अधिकारी को भुगतान से पूर्व किसी भी समय कार्य आदेश को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित हैं।
10. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने की तिथि से **5 महिने** या कार्य पूर्ण होने तक रहेगी।
11. उक्त कार्य में काम में आने वाले औजार/श्रमिक अनुबन्धकर्ता के होगे।
12. सभी कार्य प्रभारी, फार्म या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के दिशा निर्देशानुसार करना होगा।
13. थ्रेसींग का कार्य स्वयं अनुबन्धकर्ता को करवाना होगा।
14. जौ की फसल को थ्रेसींग करवाकर बीज एवं भूसे को बताये गये स्थान पर निर्देशानुसार डालना होगा।
15. अनुबन्धर्ता/प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता/गैर–जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई अथवा कोई नुकसान/चोरी/क्षति पहुचाई जाती है तो उसकी वसूली अनुबन्धकर्ता के देय बिल मे से काट ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि जप्त की ली जावेगी।

Scanned by CamScanner

16. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर अनुबन्धर्ता/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगे तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी।
17. उपरोक्त सभी कार्यो की पूर्णता तभी मान्य होगी जब प्रभारी, प्रक्षेत्र व उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कार्य संतोषजनक पूर्णता करने का प्रमाणित करेगें उसके बाद ही भुगतान किया जावेगा यदि कार्य दिये गये मापदण्डो के अनुसार पूर्ण नही किया गया तो किये गये कार्य की मात्रा के अनुसार भुगतान किया जावेगा।
18. किसी भी कार्य का अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या संतोषजनक नही होने पर अनुबन्धकर्ता द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त करली जावेगी एवं अनुबन्ध को निरस्त कर दिया जावेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी तथा भविष्य के लिए कार्य आंवटन नही किया जावेगा।
19. अनुबन्ध की अवधि के दौरान ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।
20. सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में या समय–समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल मे से नियमानुसार जी.एस.टी./आयकर (G.S.T./Income tax) एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज राशि की भी कटौती की जावेगी।
21. अनुबन्ध कार्य पर जी.एफ.आर. 201, मेनुअल फॉर प्रोक्यारमेण्ट ऑफ गुड्स एवं सर्विसेज 2017 एवं समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेश एवं संशोधन लागू होगें।
22. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य संतोषजनक पूरा होने पर के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असंतोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
23. श्रमिक नियमो के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा मॉगने पर प्रस्तुत करना होगा।
24. सभी विवादों का निपटाने का क्षेत्राधिकार, अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक, केन्द्री भेड व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार /फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
25. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिए ही माना जावेगा। ठेके अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कोन्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नही रहेगा।
26. संस्थान के सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित हैं।

भवदीय
Sd

(श्याम सिंह)
प्रभारी, फार्म अनुभाग

प्रतिलिपिः–

1. आहरण व संवितरण अधिकारी 2. वित्त एवं लेखा अधिकारी 3. सर्तकता अधिकारी 4. प्रभारी, सुरक्षा अधिकारी 5. प्रभारी, ए.के.एम.यू. 6. निदेशक महोदय को सूचनार्थ हेतु प्रस्तुत हैं।

20/11/19

सक्षम अधिकारी महोदय ने उक्त प्रयोजनार्थ होने वाले व्यय रूपये 1,14,400/– (रूपये–एक लाख चोदह हजार चार सौ मात्र) वित्तीय स्वीकृति फाईल कमांकः एफएस / हरा – चारा / 42/2014 के नोट सीट पेज न. 719 प दिनांक–19.09.2019 को प्रदान की है। यह व्यय वित्त वर्ष 2019–20 में संस्थान को उक्त प्रयोजनार्थ आंवटित बजट से वहन किया जावेगा।

20/11/19
प्रभारी, फार्म अनुभाग

Scanned by CamScanner